विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पतालों की संख्या	1985		1986	
		मौतों की संख्या	सूचना भेजने वाले अस्पतालों की संख्या	मौतों की संख्या	सूचना भेजने वाले अस्पतालों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	1	88	1	+	—
2. असम	1	8	1	4	1
3. बिहार	1	+	—	+	—
4. गुजरात	1	39	1	41	1
5. हिमाचल प्रदेश	1	+	—	+	—
6. कर्नाटक	2	356	2	354	2
7. केरल	1	105	1	154	1
8. मध्य प्रदेश	5	301	5	276	5
9. महाराष्ट्र	2	568	2	396	1
10. उड़ीसा	1	100	1	98	1
11. तमिलनाडु	5	385	4	378	4
12. त्रिपुरा	1	1	1	9	1
13. उत्तर प्रदेश	1	71	1	56	1
14. पश्चिमी बंगाल	3	372	3	274	2
योग :	26	2394	23	2040	20

+उपलब्ध नहीं।

—शून्य सूचना।

महिला भ्रूणों को नष्ट करके लिंग सुनिश्चित किये जाने वाले परीक्षण का कुप्रयोग

232. **श्री शरद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "लड़का होगा या लड़की" जैसे विज्ञापन देकर कुछ व्यक्ति व्यवसाय चला रहे हैं;

(ख) क्या ऐसी कोई मशीनें हैं जिनसे भ्रूणावस्था में बच्चे के लिंग को सुनिश्चित किया जा सकता है;

(ग) क्या सरकार ने कभी यह पता लगाने का प्रयास किया है कि ऐसे मामलों में लड़की के भ्रूण की हत्या कर दी जाती है क्योंकि अनेकों माता पिता लड़की को पसन्द नहीं करते हैं; यदि हां, तो इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितनी जांच कराई गई; और

(घ) इन जांचों के दौरान सामने आये तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) जी, हां।

(ख) आनुवंशिक विकारों के प्रसवपूर्व निदान के लिए उल्ववेधन, अल्ट्रा सोनोग्राफी, कोरियॉनिक अंकुर जीवऊति परीक्षा और फोटोस्कोपी जैसे कई साधन हैं जिनका इस्तेमाल गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के लिए भी किया जा सकता है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जून, 1977, अगस्त, 1982 और दिसम्बर, 1985 में राज्य सरकारों को लिखा है कि राज्यों को ऐसी कुप्रथाओं पर निगरानी रखनी चाहिए और गर्भ-समापन के प्रयोजन के लिए लिंग निर्धारण परीक्षण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन कार्रवाई की जानी चाहिए। 1982 के परिपत्र में कहा गया था कि इस बारे में सतर्क रहना आवश्यक है जिससे कि अधिकारीगण समय-समय पर यह पता लगा सकें कि क्लीनिकों व अन्य स्थानों में ऐसे प्रसवपूर्व लिंग-निर्धारण परीक्षण तो नहीं हो रहे हैं और जहां कहीं ऐसे मामले पाए जाएं वहां उपयुक्त कार्रवाई करें। बार-बार पत्र और परिपत्र भेजने पर भी गर्भ-समापन के लिए लिंग निर्धारण का एक भी मामला सूचित नहीं किया गया है और कुछ राज्यों को छोड़कर न ही किसी राज्य ने ऐसे घातक कार्य में लगे क्लीनिकों और डाक्टरों की सूची भेजी है।

Airport modernisation programme

233. SHRI NIRMAL CHATTERJEE: SHRI K. MOHANAN:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Airport Authority of India is spending Rs. 200 crores for airport modernisation programme; and

(b) if so, details thereof?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI MOTI LAL VORA): (a) and (b) Th NAA has prepared a proposal for modernisation of Air Traffic Control System at Bombay and Delhi airports at a total estimated cost of Rs. 197 crores (approximately). The proposal, which is at a preliminary stage, envisages:—

(i) Both at Bombay & Delhi airports

(1) Installation of—

—Terminal Very High Frequency-omni Range & Distance Measuring Equipment.

—New Primary & Secondary Surveillance Radars.

—Flight & Radar Data Processing Systems.

—Voice Control Communication Switching Systems.

—Airfield Surface Detection Equipment.

(2) Construction of Technical Buildings & Control Towers.

(Ii) At Delhi airport only.

Installation of Category II & III IL or (Instrument. Landing System) & Category III lighting system.

(iii) At Bombay airport only.

Installation of Category II ILS & construction of parallel taxi-ways & high speed exits.

Expenditure on decoration. Renovation of Buildings by Air India *in* Delhi.

234. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) what is the amount of money spent by Air India in decorating/